फर्द अहकाम

अमरलाल बनाम ठाकुरसीदास व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 29/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06/10/25	आज दिनांक 06/10/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/~~अवकाश पर~~ है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/10/25 को पेश हों।	
	14/10/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय दिनांक 03/11/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	03/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अंतिम के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा स्वयं की प्रचलित खातेदारी की भूमि के संदर्भ में वास्तविक प्रचलित कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड/नक्शा दुरुस्ती के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वादी की प्रचलित खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा भूमि का रिकॉर्ड प्रतिवादीगण के नाम अंकित तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का रिकॉर्ड वादी -- P.T.O. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

फर्द अहकाम

अमरलाल बनाम ठाकुरसीदास व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

29/2023

विशेष	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03.11.25	के नाम अंकित कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत मौका कब्जा का विवाद नहीं है तथा पक्षकारान अपने अनुसार भूमि पर काबिज है, परन्तु रिकॉर्ड कब्जा काश्त के विपरीत अंकित है। जिसकी मौका कब्जा अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति ही प्रस्तुत की गई है। जबकि वादी की ओर से अपेक्षित अनुतोष अनुसार पक्षकारान के कब्जा काश्त बाबत तथा कब्जा काश्त अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्ती बाबत प्रतिवादीगण की भी मौखिक सहमति बाबत शपथपत्र दिनांकित 05.10.25 प्रस्तुत किया गया है। अतः तथ्यों व न्यायहित मांग के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा खंडन व वादी शपथपत्र दिनांक 05.10.25 के दृष्टिगत वाद वादी स्वीकार। डिक्री किया जाकर उल्लेखित वाद अधीन भूमि आराजी खसरा नं. 307, 813 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 0.5600 हैक्टेयर (खाता सं. 833) वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर (जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वज [illegible] के नाम अंकित है) का वादी को खातेदार काश्तकार तथा इसी प्रकार वाद अधीन ~~भूमि~~ उल्लेखित अन्य भूमि खसरा नं. 304 रकबा 0.7400 हैक्टेयर (खाता सं. 11) वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर (जो कि -- P.T.O. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

फर्द अहकाम

अमरलाल बनाम ठाकुरसीदास व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 29/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	03.11.25	हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अंकित है) का प्रतिवादीगण सं. 01 ता 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने का आदेश किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उल्लेखित वाद अधीन भूमि आराजी खसरा नं. 307, 813 में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप/बाधा कारित ना करें। निर्णय सुनाया गया। (विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है)
		सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर

इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या :29/2023 — **निर्णय दिनांक : 03.11.2025**

अमरलाल पुत्र हीरालाल जाति रैगर

निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ठाकुरसीदास पुत्र स्व. रूडमल
2. गंगाराम अटल पुत्र स्व. रूडमल
3. कन्हैया लाल पुत्र स्व. रूडमल
4. मुकेश कुमार पुत्र स्व. रूडमल
5. पूरण मल अटल पुत्र स्व. रूडमल
6. दिवाकर अटल पुत्र स्व. रूडमल
7. श्रीमती भंवरी देवी बेवा स्व. रूडमल

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

8. छिगना देवी पत्नी धन्नाराम पुत्री स्व. रूडमल
9. लाली देवी पत्नी फूलचंद पुत्री स्व. रूडमल

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम अर्जुनपुरा, पो. धोला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इंद्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा खंडन व वादी शपथपत्र दिनांक 05.10.2025 के दृष्टिगत वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर उल्लेखित वाद अधीन भूमि आराजी ख.नं. 307, 813 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 0.5600 है. (खाता सं. 833) वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर (जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल के नाम अंकित है) का वादी को खातेदार काश्तकार तथा इसी प्रकार वाद अधीन उल्लेखित अन्य भूमि ख.नं. 304 रकबा 0.7400 है. (खाता सं. 11) वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर (जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के नाम अंकित है) का प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने का आदेश किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उल्लेखित वाद अधीन भूमि आराजी ख.नं. 307, 813 में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप/बाधा कारित ना करें।

सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.11.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

ओहदा मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)

वाद संख्या :29/2023 **निर्णय दिनांक : 03.11.2025**

अमरलाल पुत्र हीरालाल जाति रैगर
निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ठाकुरसीदास पुत्र स्व. रूडमल
2. गंगाराम अटल पुत्र स्व. रूडमल
3. कन्हैया लाल पुत्र स्व. रूडमल
4. मुकेश कुमार पुत्र स्व. रूडमल
5. पूरण मल अटल पुत्र स्व. रूडमल
6. दिवाकर अटल पुत्र स्व. रूडमल
7. श्रीमती भंवरी देवी बेवा स्व. रूडमल
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. छिगना देवी पत्नी धन्नाराम पुत्री स्व. रूडमल
9. लाली देवी पत्नी फूलचंद पुत्री स्व. रूडमल
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम अर्जुनपुरा, पो. धोला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इंद्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल ख.नं. 307 रकबा 0.07 है., ख.नं. 813 रकबा 0.4900 है. कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 0.5600 है. जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल पुत्र बेगला जाति रैगर के नाम दर्ज अंकित है, का स्वयं को खातेदार तथा इसी प्रकार अन्य भूमि हाल ख.नं. 304 रकबा 0.7400 है. जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं वादी के नाम दर्ज अंकित है का प्रतिवादीगण स. 1 ता 9 को खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने के प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित साबिक ख.नं. 97 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि जरिये आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1970 के वादी के नाम (आवंटित) की गई थी। उक्त आवंटन के क्रम (पालना) में वादी के नाम गैर खातेदारी का नामांतकरण (सं. 389) दिनांक 19.10.1972 को खोला जाकर ख.नं 97 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा में से 3 बीघा अनुसार नवीन ख.नं. 97/1810 कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में वादी के नाम गैर खातेदारिता का अंकन/इंद्राज किया गया तथा उक्त अनुसरण में दिनांक 22.11.1978 को जरिये नामांतकरण सं. 581 के वादी के नाम गैरखातेदारिता से खातेदारिता में इंद्राज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। इसी प्रकार उक्त भूमि ख.नं. 97 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि जरिये आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1970 के प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के पिता/पति स्व. रूडमल के नाम आवंटित की जाकर गैरखातेदारिता का नामांतकरण (सं. 385) दिनाक 19.10.1972 को खोला जाकर ख.नं. 97 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा में से 3 बीघा अनुसार नवीन ख.नं. 97/1806 कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के पिता रूडमल पुत्र बेगला के नाम गैरखातेदारिता का अंकन/इंद्राज किया गया तथा उक्त क्रम/अनुसरण में दिनांक 22.11.1978 को जरिये नामांतकरण सं. 582 के प्रतिवादीगण के पिता रूडमल पुत्र बेगला के नाम गैरखातेदारिता से खातेदारिता में इंद्राज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। दौराने हाल सेटलमेंट आराजी साबिक ख.नं. 97/1810 रकबा 3 बीघा के हाल ख.नं. 304 रकबा 0.7400 है. कायम किए जाकर वादी के नाम खातेदारिता में तथा साबिक ख.नं. 97/1806 रकबा 3 बीघा के हाल ख.नं. 307 रकबा 0.07 है., ख.नं. 813 रकबा 0.4900 है., कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.5600 है. कायम किए जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 9 के पिता/पति रूडमल पुत्र बेगला के नाम खातेदारिता में दर्ज अंकित चली आ रही है तथा साबिक ख.नं. 97/1806 (रूडमल पुत्र बेगला) की शेष भूमि 0.19 है. गैर मुमकिन रास्ता के ख.नं. 812, 824 में शामिल (दौराने सेटलमेंट) कर दी गई है।

वादी की ओर से वादपत्र के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि वादी आवंटन के समय से ही गत ख.नं. 97 से कायम नवीन ख.नं 97/1810 रकबा 3 बीघा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसके दौराने हाल सेटलमेंट ख.नं. 812, 824, 307, 813 बनाने थे परन्तु सहवन से कब्जा काश्त के विपरीत गत ख.नं. 97/1810 के हाल ख.नं. 304 बनाये गये जबकि वादी प्रारंभ से ही गत ख.नं. 97/1810 की भूमि पर काबिज रहा है तथा वादी को आवंटन की भूमि का ख.नं. 97/1810 बनाया गया तथा दौराने

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

हाल सेटलमेंट गत ख.नं. 97/1810 से गैर मुमकिन रास्ता में 0.1900 है. ख.नं. 812, 824 में शामिल करने के पश्चात शेष भूमि 0.5600 है. जिसके वर्तमान ख.नं. 307, 813 है, पर वादी मौके पर काबिज है तथा ख.नं. 813 के चारो ओर पिलरशुदा तारबंदी कर रखी है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 9 के पिता/पति रूडमल पुत्र बेगला आवंटन समय से ही गत ख.नं. 97 से बने नवीन ख.नं. 97/1806 रकबा 3 बीघा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसके दौराने हाल सेटलमेंट ख.नं. 304 बनाने थे परन्तु सहवन से कब्जा काश्त के विपरीत गत ख.नं. 97/1806 के हाल ख.नं. 218, 824, 307, 813 गलत बनाये गये जबकि प्रतिवादी प्रारंभ से ही ख.नं. 97/1806 की भूमि पर काबिज रहा है तथा रूडमल पुत्र बेगला को आवंटन की भूमि का ख.नं. 97/1810 बनाया गया तथा दौराने हाल सेटलमेंट गत ख.नं. 97/1806 से बनाये गये हाल ख.नं. 304 रकबा 0.7400 है. भूमि पर रूडमल पुत्र बेगला के वारिस प्रतिवादीगण 1 ता 9 काबिज काश्त है। वादी को अपनी कृषि भूमि ऋण संबंधी कार्यवाही के दौरान पता चला कि जो भूमि मौके पर वादी के कब्जे में अलाटमेंट के समय से निरंतर चली आ रही है वह राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण 1 ता 9 के हक पूर्वाधिकारी रूडमल पुत्र बेगला के नाम दर्ज अंकित है तथा इसी प्रकार आवंटन काल से ही प्रतिवादीगण के कब्जे में प्रचलित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज अंकित चली आ रही है तथा मौके पर कब्जा अनुसार सही तरमीम व पर्चा जारी नहीं कर मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम व पर्चा इत्यादि जारी कर दिया गया है।

दौराने हाल सेटलमेंट मिलान क्षेत्रफल व अन्य राजस्व रिकॉर्ड सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा गलत तैयार किया गया है, जिसके तहत गलत ख.नं. 97/1806 के हाल ख.नं. 304 का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के हक पूर्वाधिकारी रूडमल पुत्र बेगला के नाम राजस्व रिकॉर्ड तैयार करना था, इसी प्रकार खसरा नं. 97/1810 के हाल ख.नं. ख.नं. 812, 824, 307, 813 बनाने थे, जिसमें मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ख.नं 307, 813 वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड तैयार करना था। लेकिन कब्जा काश्त के विपरीत सेटलमेंट विभाग द्वारा दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल, खतौनी इत्यादि बनाये गये। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा दौराने हाल सेटलमेंट उक्त ख.नं. के हाल ख.नं. बनाते समय भी कब्जे के अनुसार पर्चा जारी नहीं किया गया तथा दौराने सेटलमेंट जो पर्चा जारी किया गया वह वादी को प्राप्त नहीं होने से उक्त गलत तरमीम व इंद्राज की वादी को जानकारी नहीं हो सकी। जिससे बैंक ऋण हेतु प्रक्रिया के दौरान जानकारी होने पर वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके अनुसार वादी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड का इंद्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर घोषणा, दुरूस्ती इंद्राज इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित साबिक ख.नं. 97/1806 से कायम किए गए नवीन ख.नं. 307 रकबा 0.07 है. ख.नं. 813 रकबा 0.4900 है. कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 0.5600 है. भूमि वादी के नाम खातदेारी में व साबिक ख.नं. 97/1810 से बनाए गए नवीन ख.नं. 304 रकबा 0.7400 है. की भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारिता में अंकित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का आदेश प्रदान किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि भूमि वादग्रस्त ख.नं. 307, 813 में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप ना करें।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न साक्ष्य दस्तावेजात पेश किए गए हैः–

1. प्रदर्श 1:– प्रमाणित (आनलाईन) प्रति जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता सं. 11 वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि ख.नं. 304 रकबा 0.7400 है. वादी के नाम एकल खातेदारिता में दर्ज अंकित है।
2. प्रदर्श 2:– प्रमाणित (आनलाईन) प्रति जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता सं. 833 वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर। जिसके अनुसार ख.नं. 307, 813 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 0.5600 है. (प्रतिवादीगण 1 ता 9 के पिता/पति) रूडमल पुत्र बेगला के नाम एकल खातेदारिता में दर्ज अंकित है।
3. प्रदर्श 3:– प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस। जिसके अनुसार उल्लेखित वाद अधीन भूमि ख.नं. 307 व वाद अधीन ख.नं. 813 (जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल पुत्र बेगला के नाम दर्ज अंकित है) के मध्य रास्ता प्रदर्शित है।
4. प्रदर्श 4:– प्रमाणित प्रतिलिपी नामांतकरण प्रविष्टी सं. 385 दिनांक 19.10.1972। जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 97 से रकबा 3 बीघा की गैरखातेदारिता का अंकन नवीन ख.नं. 97/1806 के रूप में प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल पुत्र बेगला के नाम किया गया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

5. प्रदर्श 5:– प्रमाणित प्रतिलिपी नामांतकरण प्रविष्टी सं. 389 दिनांक 19.10.1972। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 97 से रकबा 3 बीघा की गैरखातेदारिता का अंकन नवीन ख.नं. 97 / 1810 के रूप में वादी अमरलाल पुत्र हीरालाल के नाम किया गया है।
6. प्रदर्श 6:– प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2037–2040 खाता सं. 488 वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर। जिसके अनुसार उल्लेखित वाद अधीन ख.नं. 97 / 1806 रकबा 3 बीघा रूडमल (प्रतिवादीगण 1 ता 9 के पिता / पति) पुत्र बेगला के नाम दर्ज अंकित है।
7. प्रदर्श 7:– प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2037–2040 खाता सं. 04 वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर। जिसके अनुसार उल्लेखित वाद अधीन ख.नं. 97 / 1810 रकबा 3 बीघा वादी अमरलाल पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज अंकित है।
8. प्रदर्श 8:– प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल। जिसके अनुसार उल्लेखित वाद अधीन ख.नं. 97 / 1810 रकबा 3 बीघा जो कि वादी की खातेदारिता में दर्ज अंकित रही है के नवीन ख.नं 304 रकबा 0.7400 है. कायम किए गए है तथा भूमि ख.नं. 97 / 1806 रकबा 3 बीघा जो कि प्रतिवादीगण 1 ता 9 के पूर्वज रूडमल पुत्र बेगला के नाम खातेदारिता में दर्ज रही है के नवीन ख.नं. 307 रकबा 0.07 है., ख.नं. 813 रकबा 0.49 है. कायम किए गए है तथा उक्त ख.नं. 97 / 1806 मिन का शेष रकबा के नवीन ख.नं. 812, 824 में भी समाहित किया गया है।
9. प्रदर्श 9:– प्रमाणित प्रतिलिपी नामांतकरण प्रविष्टी सं. 581 दिनांक 22.11.1978। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि ख.नं. 97 / 1810 रकबा 3 बीघा वादी अमरलाल पुत्र हीरालाल के नाम गैरखातेदारिता से खातेदारिता में स्वीकृत (अंकित) की गई है।
10. प्रदर्श 10:– प्रमाणित प्रतिलिपी नामांतकरण प्रविष्टी सं. 582 दिनांक 22.11.1978। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि ख.नं. 97 / 1806 रकबा 3 बीघा प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल पुत्र बेगला के नाम गैरखातेदारिता से खातेदारिता में स्वीकृत की गई है।
11. प्रदर्श 11:– असल प्रति राजस्व पास बुक संवत् 2029 दिनांक 14.11.1972। जिसके अनुसार ख.नं. 97 / 1810 रकबा 3 बीघा के रूप में जरिये अलाटमेंट भूमि वादी को दिनांक 07.11.1970 को गैरखातेदार के रूप में अलॉट की गई है।
12. प्रदर्श 12:– प्रमाणित प्रति हाल नक्शा ट्रेस। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 307, 813 (जो कि प्रतिवादीगण के नाम प्रदर्शित है) के मध्य रास्ता प्रदर्शित है तथा ख.नं. 307 के पश्चात पश्चिमी दिशा में वादग्रस्त खसरा नं. 304 स्थित है। जो कि वादी के नाम दर्ज अंकित प्रदर्शित है।
13. प्रदर्श 13:– प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 19.05.2024। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 307, 813 (जो कि प्रतिवादीगण के नाम प्रदर्शित है) के मध्य रास्ता प्रदर्शित है तथा ख.नं. 307 के पश्चात पश्चिमी दिशा में वादग्रस्त खसरा नं. 304 स्थित है। जो कि वादी के नाम दर्ज अंकित प्रदर्शित है।
14. प्रदर्श 14:– प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 19.05.2024। जिसके अनुसार उल्लेखित / प्रदर्शित भूमि ख.नं. 813 रकबा 0.4900 है. जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल पुत्र बेगला के नाम प्रदर्शित है, के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सीमा की ओर ख.नं. क्रमशः 824, 753, 812 रास्ता की भूमि के रूप में प्रदर्शित है।
15. प्रदर्श 15:– प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 19.05.2024। जिसके अनुसार उल्लेखित / प्रदर्शित भूमि ख.नं. 307 रकबा 0.07 है. जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल पुत्र बेगला के नाम प्रदर्शित है, के पूर्वी दिशा में मुख्य सड़क व पश्चिमी दिशा में वादी की खातेदारिता की भूमि ख.नं. 304 स्थित है।
16. प्रदर्श 16:– प्रमाणित प्रतिलिपी आवंटन पत्र / आदेश दिनांक 07.11.1970। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि ख.नं. 97 में से 3 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल को विधिवत अलॉट / आवंटित की गई है। जिसके क्रम में विधिवत पट्टा जारी कर कब्जा सुपुर्दगी की जाकर तदनुसार ख.नं 97 / 1806 के रूप में नक्शा कायम कर प्रदर्शित किया गया है।
17. प्रदर्श 17:– प्रमाणित प्रतिलिपी आवंटन पत्र / आदेश दिनांक 07.11.1970। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि ख.नं. 97 में से 3 बीघा भूमि वादी को विधिवत अलॉक्ट / आवंटित की गई है। जिसके क्रम में विधिवत पट्टा जारी कर कब्जा सूपूर्दगी की जाकर तदनुसार ख.नं 97 / 1810 के रूप में नक्शा कायम कर प्रदर्शित किया गया है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थित होकर जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत विधिवत नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

सक्षम तामिल/प्राप्ति रिपोर्ट के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के विरूद्ध दिनांक 05.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। जिसके क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र PW 1 वादी अमरलाल पुत्र हीरालाल, PW 2 गवाह मदनलाल पुत्र अमरलाल, PW 3 गवाह जगदीश प्रसाद पुत्र नाथूराम के प्रस्तुत किये गये। जिनका मुख्य परीक्षण किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा स्वयं की प्रचलित खातेदारिता की भूमि के संदर्भ में वास्तविक प्रचलित कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड/नक्शा दुरूस्ती के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वादी की प्रचलित खातेदारिता व कब्जाकाश्त शुदा भूमि का रिकॉर्ड प्रतिवादीगण के नाम अंकित तथा प्रतिवादीगण की खातेदारिता व कब्जाकाश्त भी भूमि का रिकॉर्ड वादी के नाम अंकित कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत मौका कब्जा का विवाद नहीं है तथा पक्षकारान अपेक्षानुसार भूमि पर काबिज है परन्तु रिकॉर्ड कब्जाकाश्त के विपरीत अंकित है। जिसकी मौका कब्जा अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति ही प्रस्तुत की गई है। जबकि वादी की ओर से अपेक्षित अनुतोष अनुसार पक्षकारान के कब्जाकाश्त बाबत तथा कब्जाकाश्त अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत प्रतिवादीगण की भी मौखिक सहमति बाबत शपथपत्र दिनांकित 05.10.2025 प्रस्तुत किया गया है। अतः तथ्यों व न्यायहित मात्र के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा खंडन व वादी शपथपत्र दिनांक 05.10.2025 के दृष्टिगत वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर उल्लेखित वाद अधीन भूमि आराजी ख.नं. 307, 813 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 0.5600 है. (खाता सं. 833) वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर (जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडमल के नाम अंकित है) का वादी को खातेदार काश्तकार तथा इसी प्रकार वाद अधीन उल्लेखित अन्य भूमि ख.नं. 304 रकबा 0.7400 है. (खाता सं. 11) वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर (जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अंकित है) का प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने का आदेश किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उल्लेखित वाद अधीन भूमि आराजी ख.नं. 307, 813 में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप/बाधा कारित ना करें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर